

प्रेस नोट

आज दिनांक 08.09.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त प्रताप डोम गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमन्चा .315 बोर बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी चेतगंज के निकट पर्यवेक्षण में जनपद वाराणसी में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के उद्देश्य से आपराधिक घटनाओं में अभियुक्तों द्वारा अवैध शस्त्रों के प्रयोग की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.09.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर फूल मण्डी की तरफ काशी विद्यापीठ गेट के पास से जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध कारित करने वाले शातिर किस्म के अपराधी व थाना सिगरा के हिस्ट्रीशीटर प्रताप डोम (उम्र लगभग 49 वर्ष) पुत्र गोले उर्फ पारस निवासी एस-21/119 बड़ी मलदहिया थाना सिगरा वाराणसी को समय करीब 08.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 395/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- प्रताप डोम (उम्र लगभग 49 वर्ष) पुत्र गोले उर्फ पारस निवासी एस-21/119 बड़ी मलदहिया थाना सिगरा वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 06/02 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना चेतगंज वाराणसी।

2. मु0अ0सं0 07/02 धारा 401 भा0द0वि0 थाना चेतगंज वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 08/02 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना चेतगंज वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 342/02 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना चेतगंज वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 25/05 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना चेतगंज वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 489/10 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिगरा वाराणसी।
7. मु0अ0सं0 570/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
8. मु0अ0सं0 571/08 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
9. मु0अ0सं0 0067/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिगरा वाराणसी।
10. मु0अ0सं0 520/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
11. मु0अ0सं0 717/12 धारा 401 भादवि थाना जीआरपी कैण्ट वाराणसी।
12. मु0अ0सं0 719/12 धारा 21/22/8 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी कैण्ट वाराणसी।
13. मु0अ0सं0 824/12 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना जीआरपी कैण्ट वाराणसी।
14. मु0अ0सं0 1994/10 धारा 21/22/8 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी कैण्ट वाराणसी।
15. मु0अ0सं0 152/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
16. मु0अ0सं0 267/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली वाराणसी।
17. मु0अ0सं0 395/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 मिर्जा रिजवान बेग चौकी प्रभारी रोडवेज, हे0का0 विनय कुमार सिंह, हे0का0 राजेश सिंह व का0 मनोज यादव थाना सिगरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 07.09.2020 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा थाना कपसेठी का हिस्ट्रीशीटर व थाना स्थानीय का पूर्व का गैग्रेस्टर एक्ट का अपराधी शिवाकान्त उर्फ मदन सिंह अवैध 01 अदद देशी तमंचे व 01 अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों व मादक पदार्थ बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी बड़ागाँव के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 07.09.2020 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति/वाहन तथा रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कपसेठी का हिस्ट्रीशीटर व थाना बड़ागाँव का पूर्व का गैग्रेस्टर एक्ट का अपराधी शिवाकान्त उर्फ मदन सिंह पुत्र स्व0 राम शिरोमणी सिंह निवासी सियरहा थाना कपसेठी जनपद वाराणसी को सियरहा जाने वाले रास्ते के तिराहे से समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 398/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- शिवकान्त उर्फ मदन सिंह पुत्र स्व0 शिरोमणी सिंह निवासी सियरहा थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 18/16 धारा 379 भादवि थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0 39/16 धारा 379 भादवि थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
3. मु0अ0सं0 40/16 धारा 141,411,414,419,420,467,468,471,120B भादवि थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
4. मु0अ0सं0 113/16 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
5. मु0अ0सं0 57/16 धारा 379 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी ।
6. मु0अ0सं0 148/17 धारा 323,336 भादवि थाना कपसेठी वाराणसी ।

7. मु0अ0सं0 138/18 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना कपसेठी वाराणसी ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अनिल कुमार, का0 गुलाब यादव, का0 हरेराम यादव व का0 बृजेश कुमार थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 47/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 08/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 08/09/2020 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकाघाट (फ्लाईओवर लकड़ी मण्डी की तरफ) के नीचे स्थित शौचालय के बगल से कल्लू सेठ (उम्र लगभग 31 वर्ष) पुत्र स्व० जिउत लाल सेठ, निवासी - सीके-22/40 कबीर रोड पिपलानी, थाना-चौक, वाराणसी को समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 12 पुड़िया हेरोइन वजन कुल 2.410 ग्राम बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 0144/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- कल्लू सेठ (उम्र लगभग 31 वर्ष) पुत्र स्व० जिउत लाल सेठ, निवासी - सीके-22/40 कबीर रोड पिपलानी, थाना-चौक, वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 12 पुड़िया हेरोइन वजन कुल 2.410 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ०नि० अमित कुमार सिंह, उ०नि० वैधनाथ सिंह, हे०का० मुख्तार प्रसाद व का० संजीव मिश्रा थाना चेतगंज वाराणसी।

(पी०आर०सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

दिनांक- 07.09.20 को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान धरसौना के पास से देशी शराब दुकान पर सेल्स मैन द्वारा देशी शराब को अपमिश्रित करके नकली अंग्रेजी शराब कूट रचित करके बनाने वाले (1) रिकू सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र गंगेश्वर सिंह नि० कोरगाँव थाना भगवानपुर जिला कैमुर भभुआ बिहार उम्र 32 वर्ष व (2) राजीव जायसवाल पुत्र गोपाल जायसवाल निवासी डिघवत थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से विभिन्न मात्रा की 10 अदद देशी शराब, 200 एमएल भरी हुई प्लास्टिक शीशी 10 अदद, 07 अदद सूजा, एक अदद सीरीन्ज मय एक अदद निडिल व एक अदद लेबल सीट बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 0348/2020 धारा 419/420/467/468/471/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- रिकू सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र गंगेश्वर सिंह नि० कोरगाँव थाना भगवानपुर जिला कैमुर भभुआ बिहार उम्र 32 वर्ष।
- राजीव जायसवाल पुत्र गोपाल जायसवाल निवासी डिघवत थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- विभिन्न मात्रा की 10 अदद देशी शराब।
- 200 एमएल भरी हुई प्लास्टिक शीशी 10 अदद।
- 07 अदद सूजा।
- एक अदद सीरीन्ज मय एक अदद निडिल।
- एक अदद लेबल सीट।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ०नि० राजकुमार चौहान, उ०नि० संतोष यादव, हे०का० श्रवण यादव, हे०का० रामप्रताप सिंह व का० शिवशंकर सिंह चौहान थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।

(पी०आर०सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

आज दिनांक 08.09.2020 को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा रात्रि गस्त के दौरान थाना चोलापुर के हिस्ट्रीशीटर मुकेश कुमार उर्फ मुक्की सेठ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पलहीपट्टी बाजार थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को आयुर्वेद स्कूल (पलही पट्टी) से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 160 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोनाल बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 349/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मुकेश कुमार उर्फ मुक्की सेठ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पलहीपट्टी बाजार थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 160 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोनाल

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 617/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 725/14 धारा 356/411 भादवि0 थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 753/14 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 336/15 धारा 380/411 भादवि0 थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 1446/15 धारा 392/411 भादवि0 थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 1536/15 धारा 380/411 भादवि0 थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।
7. मु0अ0सं0 22/16 धारा 380/411 भादवि0 थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।
8. मु0अ0सं0 593/16 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना जीआरपी कैण्ट जनपद वाराणसी।

9. मु0अ0सं0 137/20 धारा 147/323/504/506/325/452/427 भादवि थाना चोलापुर वाराणसी।

10. मु0अ0सं0 349/20 धारा 8/22 एनडीपीएस थाना चोलापुर वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 राकेश कुमार ओझा चौकी प्रभारी गोसाईपुर, उ0नि0 रामराज शुक्ला व का0 बुद्धिमान यादव थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 50/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 08/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 08.09.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0437/2020 धारा 452,354,354(क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त लालू बिन्द गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी भेलूपुर के नेतृत्व में दिनांक 08.09.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 437/2020 धारा 452,354,354(क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में सम्बन्धित अभियुक्त लालू बिन्द पुत्र अर्जुन बिन्द, निवासी रानीपुर, थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 23 वर्ष को लखरौंवा मोड़ के पास से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- लालू बिन्द पुत्र अर्जुन बिन्द, निवासी रानीपुर, थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 23 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार श्रोतिया, व0उ0नि0 सुधीर कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 राहुल कुमार यादव, का0 रितेश कुमार व का0 केदार नाथ थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 08.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद-वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी व क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध के कुशल निर्देशन में अपराध एवम् अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु थाना लक्सा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर लालकुटी के पास से 1. बल्लू उर्फ रंजीत सेठ पुत्र लालता सेठ निवासी सी0 के0 65/359 बड़ी पियरी थाना चौक वाराणसी 2. रजत सेठ पुत्र लालता सेठ निवासी सी0के0 65/359 बड़ी पियरी थाना चौक वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। बल्लू उर्फ रंजीत सेठ उपरोक्त के कब्जे से 1.300 किलोग्राम नाजायज गांजा तथा 01 अदद नाजायज कट्टा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व रजत सेठ के कब्जे 1.150 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लक्सा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त बल्लू उर्फ रंजीत सेठ उपरोक्त ने बताया कि मैं व मेरा छोटा भाई रजत सेठ दोनों मिलकर गांजा बेचते हैं। मेरे पास वर्तमान में 1.300 किलोग्राम गांजा सफेद झोले में है, जिसको मैं आस-पास बेचने जा रहा था। रजत सेठ ने बताया कि मेरा नाम रजत सेठ उपरोक्त है। मैं अपने भाई के साथ मिलकर गांजा का धन्धा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- बल्लू उर्फ रंजीत सेठ पुत्र लालता सेठ निवासी सीके 65/359 बड़ी पियरी, कबीरचौरा थाना- चौक जनपद- वाराणसी उम्र 35 वर्ष।
- 2- रजत सेठ S/O लालता सेठ R/O CK 65/359 बड़ी पियरी कबीर चौरा थाना- चौक जनपद- वाराणसी उम्र 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद नाजायज कट्टा .315 बोरे व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोरा
- कुल 2.450 किलोग्राम नाजायज गांजा।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 72/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लक्सा वाराणसी बनाम बल्लू उर्फ रंजीत
2. मु0अ0सं0 73/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लक्सा वाराणसी बनाम बल्लू उर्फ रंजीत
3. मु0अ0सं0 74/2020 धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट थाना लक्सा वाराणसी बनाम रंजीत सेठ
4. मु0अ0सं0 54/2017 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना लक्सा वाराणसी बनाम 1.रंजीत सेठ 2. रजत सेठ
5. मु0अ0सं0 25/2017 धारा 392/411 भादवि थाना लक्सा वाराणसी बनाम 1.बल्लू उर्फ रंजीत सेठ 2. रजत सेठ
6. मु0अ0सं0 214/17 धारा 394/323/302/411/120 बी भादवि थाना मुगलसराय चन्दौली बनाम बल्लू उर्फ रंजीत सेठ
7. मु0अ0सं0 202/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनियां जनपद-वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र (प्रभारी क्राइम टीम), उ0नि0 अखिलेश कुमार, का0 834 प्रमोद चौहान, का0 315 आलोक प्रताप सिंह, का0 4330 चन्द्रभूषण व हो0गा0 प्रमोद कुमार विश्वकर्मा थाना लक्सा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 07.09.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान माल गोदाम गेट, गोलगड्डा तिराहा से मकबूल हसन पुत्र बैजुरहमान निवासी ए-31/106 नवापुरा (कटेहर) थाना आदमपुर वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 160/2020 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मकबूल हसन पुत्र बैजुरहमान निवासी ए-31/106 नवापुरा (कटेहर) थाना आदमपुर वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 05 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ.नि. अतुल कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी, उ0नि0 विनय तिवारी, का0 अरविन्द कुमार यादव व का0 जशपाल गौतम थाना जैतपुरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 53/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 08/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन आज दिनांक 08.09.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 200/2020 धारा 366/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अपहृता को सरदार वल्लभ भाई पटेल गेट कोरौता थाना लोहता वाराणसी से सकुशल बरामद कर लिया है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- एक अपहृता।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 श्यामलाल सरोज, का0 मनोज कुमार चौहान, का0 विशाल यादव व म0का0 ज्ञान देवी थाना लोहता वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 54/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 08/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 08-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 71 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *191 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1134 वाहनों का चालान तथा 431 वाहनों से रु0-3,10,000/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 08-09-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1271 व्यक्तियों से रु0-77,150/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी